22/11/19 पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
दौरा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक [illegible]/11/19 को पेश हो

[illegible]/11/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया उप.। प्रार्थिया के पक्ष में हकत्याग अनीता देवी, [illegible] व बाबूलाल के शपथ पत्र तथा सूची दस्तावेजात पेश किये। रिपोर्ट बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/12/19 को पेश हो।

18/12/19 पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थिया उप.। पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा:– प्रार्थना–पत्र / 71 / 2019
श्रीमती अनिता देवी पत्नी बनवारीलाल उम्र 37 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम थोरासी तहसील धोद जिला–सीकर राज.

–**प्रार्थीया**

बनाम

तहसीलदार, तहसील धोद जिला–सीकर राज.

–**अप्रार्थी**

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–
श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, वकील प्रार्थीया की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 18.12.2019

01. वकील प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम थोरासी तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 552 रकबा 1.41 हैक्टेयर है, जिसमें एकमात्र प्रार्थीया रिकॉर्डेड खातेदार, काश्तकार है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम अनितादेवी पत्नी बनवारीलाल ही है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से इमृता देवी अंकित हो गया। ग्राम थोरासी में इमृता देवी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट नाम की कोई महिला नहीं है। प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात यथा पहचान–पत्र, आधार कार्ड व राशनकार्ड में प्रार्थीया का नाम अनितादेवी ही अंकित है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इमृता देवी अंकित है, क्योंकि प्रार्थीया को इमृतादेवी तथा अनिता देवी दोनों ही नामों से पूर्व में पुकारा जाता था। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का आवेदन को स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 552 रकबा 1.41 हैक्टेयर वाके ग्राम थोरासी तहसील धोद जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम इमृता देवी के स्थान पर अनितादेवी अंकित किया जावें।

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, धोद से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक / भू.अ. / 2796 दिनांक 16.09.2019 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीया अनितादेवी के समर्थन में स्वयं अनिता देवी, सोहनलाल व बाबुलाल के शपथ–पत्र पेश किये गये, जिन्हें शामिल पत्रावली किये गये। साक्ष्य के रूप में दस्तावेजात आदि की प्रतिलिपि पेश की, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया।

03. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अपने आवेदन के कथनों को दोहराकर मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के उसका आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

04. बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न पंजीबद्ध दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा विवादित भूमि दिनांक 09.01.2007 व दिनांक 06.06.2007 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र क्रय की है, जिसमें प्रार्थीया का नाम इमृता देवी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी ग्राम थोरासी तहसील धोद अंकित है। प्रार्थीया ने साक्ष्य में प्रस्तुत अपने शपथ–पत्र में अंकित किया है कि उसने विक्रय–पत्र में घर में बोलता नाम इमृता देवी अंकित करा दिया जबकि उसके समस्त दस्तावेज अनिता देवी के नाम पर है। पत्रावली में संलग्न आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान–पत्र, राशनकार्ड में प्रार्थीया का नाम अनितादेवी पत्नी बनवारीलाल अंकित है। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट मय मौका पर्चा में भी यह तथ्य अंकित है कि प्रार्थीया का सही नाम अनिता देवी है तथा इमृता देवी व अनिता देवी एक ही महिला है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में भी यह तथ्य अंकित हैं कि प्रार्थीया का सही नाम अनिता देवी पत्नी बनवारीलाल है तथा इमृता देवी व अनिता देवी दोनों एक ही महिला के नाम है। साक्ष्य में प्रस्तुत दो स्वतंत्र व्यक्ति बाबूलाल एवं सोहनलाल के शपथ–पत्र में भी यह तथ्य अंकित है कि प्रार्थीया का सही नाम अनिता देवी पत्नी बनवारीलाल है तथा इमृता देवी व अनिता देवी दोनों एक ही महिला के नाम है। अतः उपर्युक्त विवरण से यह प्रमाणित है कि प्रार्थीया का सही नाम अनितादेवी है तथा इमृता देवी व अनिता देवी दोनों प्रार्थीया के ही नाम है। अतः प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अनिता देवी किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम थोरासी तहसील धोद के खसरा सं. 552 रकबा 1.41 हैक्टेयर में प्रार्थीया का नाम इमृता देवी पत्नी बनवारीलाल के स्थान पर अनिता देवी पत्नी बनवारीलाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद • मुख्यालय सीकर (राज.) •

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.13 12:16:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: